

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग  
पत्रांक-01/बजट-यो-44/2025-02 बजट

/पटना, दिनांक- 06 मई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,  
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक, ईख विकास,  
बगहा/ बेतिया/ मोतिहारी/ समस्तीपुर/ गोपालगंज/  
सीवान/ सीतामढ़ी/ मुजफ्फरपुर/ दरभंगा/ पटना/  
भोजपुर (आरा)।

विषय : राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु वचनबद्ध राशि मो० 96,33,200.00 (छियानवे लाख तैंतीस हजार दो सौ) रूपये मात्र की निकासी का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-157 दिनांक-28.01.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु कुल मो० 481.00 लाख (चार करोड़ इकासी लाख) रूपये मात्र की योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में कुल मो० 96,33,200.00 (छियानवे लाख तैंतीस हजार दो सौ) रूपये का आवंटन किया जा रहा है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-157 दिनांक-28.01.2026 के द्वारा कुल 481.00 लाख रु० की लागत पर "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई थी, के आलोक में इस योजनांतर्गत तकनीकी कारणों से कोषागार से देय राशि की निकासी नहीं होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु वचनबद्ध राशि के रूप में मो० 96,33,200.00 (छियानवे लाख तैंतीस हजार दो सौ) रूपये मात्र की स्वीकृति दी गयी है।

3 इस योजनांतर्गत अवशेष राशि की निकासी से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न सूची परिशिष्ट-I) के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (रूपये में)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/ विकलनीय राशि (रूपये में)
1.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852082010104	33 01 सस्मिडी	7,98,06,000	80,06,200.00
2.	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087890102,	33 01 सस्मिडी	1,54,40,000	15,76,000.00
3	मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष -0103-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087960103	33 01 सस्मिडी	12,54,000	51,000.00
	योग-		9,65,00,000	96,33,200.00

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।
4. स्वीकृत्यादेश संख्या-157 दिनांक-28.01.2026 एवं 733/ई०का० दिनांक-15.04.2026 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
5. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन  
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 02-बजट /पटना, दिनांक- 06 मई, 2026  
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतिहारी/सीतामढी/सीवान/समस्तीपुर/  
दरभंगा/ मुजफ्फरपुर/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 02-बजट /पटना, दिनांक- 06 मई, 2026  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 02-बजट /पटना, दिनांक- 06 मई, 2026  
प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 02-बजट /पटना, दिनांक- 06 मई, 2026  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-1

ज्य योजना अंतर्गत " बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम " के तहत गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार आवंटित राशि की विवरणी।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी।
		सामान्य 45-2852082010104	अनु० जाति 45-2852087890102	अनु० जन जाति 45-2852087960103	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	400000.00	0.00	0.00	400000.00	कोषागार, बेतिया, प. चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	81000.00	1000.00	0.00	82000.00	कोषागार, बेतिया, प. चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	60500.00	132000.00	0.00	192500.00	कोषागार, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	704000.00	0.00	0.00	704000.00	कोषागार, समस्तीपुर
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	27200.00	0.00	0.00	27200.00	कोषागार, गोपालगंज
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	913000.00	1000.00	0.00	914000.00	कोषागार, सिवान
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	423000.00	187000.00	11000.00	621000.00	कोषागार, सीतामढ़ी
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	251500.00	0.00	0.00	251500.00	कोषागार, मुजफ्फरपुर
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	2920000.00	640000.00	40000.00	3600000.00	कोषागार, दरभंगा
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	1882000.00	615000.00	0.00	2497000.00	कोषागार, पटना
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर	344000.00	0.00	0.00	344000.00	कोषागार, आरा (भोजपुर)
	<b>योग-</b>	<b>8006200.00</b>	<b>1576000.00</b>	<b>51000.00</b>	<b>9633200.00</b>	

(छियानवे लाख तैंतीस हजार दो सौ) रूपये

  
ईखायुक्त, बिहार।